

कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र-सह-आयुक्त,
सारण प्रमंडल, छपरा

अनुलग्नक-ख-1

भारत निर्वाचन आयोग


बिहार विधान परिषद् के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(4) के अंतर्गत नोटिस

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 31(3) के अनुसरण में 03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने दिनांक 01.10.2019 के अपने नोटिस के द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित सम्बन्धित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत होने के पात्र सभी व्यक्तियों से यह अपेक्षा की थी कि वे निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के साथ संलग्न रूप में प्रकाशित और प्रभात खबर एवं The Times of India समाचार पत्रों के दिनांक 01.10.2019 के संस्करण में उक्त नोटिस की दूसरी अनुसूची में पुनः प्रकाशित फार्म 19 में अपना आवेदन 06.11.2019 तक या उससे पहले उनके कार्यालय में भेज दें या उन्हें सुपुर्द कर दें।

उपर्युक्त सभी व्यक्ति फार्म 19 में अपने आवेदन 06.11.2019 तक या उससे पहले जमा करवा दें, यदि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

उक्त विवरण मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार की शासकीय वेबसाइट www.ceobihar.nic.in पर भी उपलब्ध है।

 11-10-19

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,

03-सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

-सह-आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा

**Office of ERO, 03- Saran Teachers' Constituency -Cum-Commissioner,
Saran Division, Chapra**

Annexure-B-1

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Preparation of Electoral Rolls for 03-Saran Teachers' Constituency of Bihar Legislative Council

Notice under rule 31(4) of the Registration of Electors Rules, 1960

In pursuance of rule 31(3) of the Registration of Electors Rules, 1960, the Electoral Registration Officer 03-Saran Teachers' Constituency vide their notice dated 1st October 2019, called upon every person entitled to be registered in the electoral roll of the relevant constituency mentioned above, to send to, or deliver at, his Office, on or before 06.11.2019 (i.e. the last date of receipt of applications), an application in Form 19 appended to the Registration of Electors Rules, 1960 and reproduced in the second schedule of the said notice.

Published in the edition dated 1st October 2019 of Prabhat Khabar and The Times of India News papers.

All the above mentioned persons may submit their applications in Form 19 on or before 06.11.2019 (i.e. the last date of receipt of applications), if not already done.

The said details are also available in the official website of the Chief Electoral Officer, Bihar at [www. ceobihar.nic.in](http://www.ceobihar.nic.in)



Electoral Registration Officer
03-Saran Teachers' Constituency
- Cum-Commissioner
Saran Division, Chapra